रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 4/8/17 को पेश है

4.8.17 वकील प्रार्थी उप० रिपोर्ट उप-तहसीलदार पारा आज हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट उप-तहसीलदार पारा का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का अर्जना पत्र रिकार्ड दुरूस्ती का होना पाया जाता है। क्योंकि प्रार्थीया द्वारा क्रय की गई राशि का गलतबयानी दर्ज होकर जमाबंदी सन् 2055-2058 में अंतेवारी दर्ज हो गई थी परन्तु नई जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम दर्ज होते से छूट गया।

अतः अर्जना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है तहसीलदार पारा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम प्रार्थीया के पुराने ख.नं. 86/2 रकबा 7.59 हे. के प्रार्थी का सरोज देवी पत्नी अमरसिंह कोम फार्म कि. इंडिया एवं नहरू बहादुर जिला अलवर के नाम दर्ज जमाबंदी के अनुसार वर्तमान जमाबंदी सन् 2013-16 का खाता नं. 159 में दर्ज कर दुरूस्ती करें, जावे दुरूस्ती बाबत तहसीलदार ही निर्णय सक्षम अदालत के अनुसार

(ई. डी. गर्ग)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना